

मैनुअल-12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराएँ ।

● कार्यक्रम/योजना का नाम	-	इन्दिरा आवास योजना ।
● कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	-	एक वर्ष ।
● कार्यक्रम का उद्देश्य	-	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की कमी को दूर करना ।
● कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	-	भौतिक लक्ष्य - 384111 आवास एवं वित्तीय लक्ष्य - 96027.61 लाख रुपये
● लाभार्थी की पात्रता	-	गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की सूची में नाम दर्ज हो ।
● पूर्वपक्षाएं	-	
● अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	-	केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत राशि तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत राशि
● पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड	-	गरीबी की सूची में परिवार अंकित हो ।
● दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	-	
● अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	-	प्रखण्ड कार्यालय से लाभार्थियों को चेक के माध्यम से विभिन्न किशतों में राशि वितरित की जाती है ।
● आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें	-	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त ।
● अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)	-	
● आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	-	आवेदन पत्र का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है । आवेदन पत्र में लाभार्थी का नाम एवं पता तथा बी०पी०एल० संख्या ।
● संलग्नकों की सूची	-	ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध है ।

●	संलग्नकों की प्रारूप	-	
●	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें	-	प्रखण्ड कार्यालय/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय ।
●	उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	-	जिला स्तर से प्रखण्डों को दिया जाता है तथा प्रखण्ड द्वारा राशि योजना से संबंधित बैंक खाता में रखी जाती है ।
●	लाभार्थियों की सूची (निम्न दिये गये प्रारूप पर)	-	जिला/प्रखण्ड/पंचायत स्तर से प्राप्त हो सकती है ।

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	बल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला/गाँव	मकान नं०